रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML-2005.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 19 अगस्त, 2005/28 श्रावण, 1927

हिमाचल प्रदेश सरकार

वित्त विभाग

(कोष, लेखा तथा लाटरी)

अधिसूचना

शिमला-171 009, 17 अगस्त, 2005

संख्या 12-4/74-फिन (टी0 एण्ड ए0-VII.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्या 12-4/74-फिन0 (टी0 एण्ड ए0) तारीख 5-8-1996 द्वारा अधिसूचित वित्त विभाग, कोष, लेखा तथा लाटरी, हिमाचल प्रदेश में कोषाधिकारी (वर्ग-III राजपत्रित) पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1996 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् —

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(i) इन नियमो का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश, वित्त विभाग कोष लेखा तथा लाटरी, कोषाधिकारी वर्ग-II, (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2005 है।

2. ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2113-राजपत्र/2005-19-8-2005- 1,460. (2531) मूल्य : एक रुपया।

2. संक्षिप्त नाम का संशोधन. हिमाचल प्रदेश वित्त विभाग कोष, लेखा तथा लाटरी, कोषाधिकारी (वर्ग-III राजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1996 जिन्हें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त नियम' कहा गया है, के संक्षिप्त नाम में शब्द, चिन्ह और रोमन अंक 'वर्ग-III, राजपत्रित' के स्थान पर 'वर्ग-II, राजपत्रित' शब्द, चिन्ह और रोमन अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

2. उपाबन्ध "अ" का संशोधन.—उक्त नियमों के उपाबन्ध 'अ' में :—

(क) स्तम्भ संख्या 2 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

79 (उन्नासी)

(ख) स्तम्भ संख्या 3 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

वर्ग-II, राजपत्रित (अलिपिक वर्गीय सेवाएं)

(ग) स्तम्भ संख्या 4 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

'7000-220-8100-275-10300-340-10980 रु0'

(घ) स्तम्भ संख्या 5 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएंगे अर्थात् :—

'18 से 45 वर्ष'

(ङ) स्तम्भ संख्या 10 के सामने विद्यमान शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

'भर्ती की पद्धति—भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या सैकण्डमैंट, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता 1' और

(च) स्तम्भ संख्या 11 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

'अधीक्षक ग्रेड-II में से, जिनका तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके 3 वर्ष का संयुक्त नियमित सेवाकाल हो, प्रोन्नति द्वारा।'

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में, पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरण पद में की गई निरन्तर तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिये इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिये, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरण प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी :

परन्तु यह कि उन सभी मामलों में जिन में कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरण पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो, को शामिल करके) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किये जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति, विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जायेंगे :

परन्तु उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धित विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा ।

स्पष्टीकरण.—अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिये अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबिलाईजड आर्मड फोर्सिस परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वेकैन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान-टैक्नीकल सर्विसिस) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1985 के नियम 3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो व इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों ।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरण पद पर की गई निरन्तर तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जायेगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।"

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) ।

[Authoritative English text of this Department notification No. 12-4/74-Fin(T&A) VII, dated 17th August, 2005 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

FINANCE DEPARTMENT
(Treasuries Accounts and Lotteries)

NOTIFICATION

Shimla-9, the 17th August, 2005

No: 12-4/74-Fin.(T&A)VII.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the following rules further to amend the Finance Department Treasuries, Accounts and Lotteries, Himachal Pradesh,

Treasury Officer (Class-III Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 1996 notified *vide* this Department Notification No. 12-4/74-Fin.(T&A), dated 5-8-1996, namely:—

1. *Short title and commencement.*—(*i*) These rules may be called the Finance Department, Treasuries Accounts and Lotteries, Himachal Pradesh Treasury Officer Class-II (Gazetted) Recruitment and Promotion (First Amendment) Rules, 2005.

(*ii*) These Rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. *Amendment of Short title.*—In short title of Finance Department, Treasuries, Accounts and Lotteries, Himachal Pradesh Treasury Officer (Class III, Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1996 (herein-after referred to as the "said rules") for the word, sign and Roman figure "Class III, Gazetted" the word, sign and Roman figure "Class-II, Gazetted" shall be substituted.

3. *Amendment in Annexure-'A'.*—In Annexure 'A' to the said rules;

(*a*) For the existing provisions against Col. No. 2, the following shall be substituted, namely :—

"79 (Seventy nine)".

(*b*) For the existing provisions against Col. No. 3, the following shall be substituted, namely:—

"Class-II, Gazetted (Non Ministerial Services)."

(*c*) For the existing provisions against Col. No. 4, the following shall be substituted, namely:—

"Rs 7000-220-8100-275-10300-340-10980."

(*d*) For the existing provisions against Col. No. 6, the following shall be substituted, namely:—

"Age between 18 and 45 years".

(*e*) For the existing title of Col. No. 10, the following shall be substituted, namely:—

"Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, secondment, transfer and the percentage of posts to be filled in by various method;" and

(*f*) For the existing provisions against Col. No. 11, the following shall be substituted, namely :—

"By promotion from amongst the Superintendent Grade-II having 3 years regular service or regular combined with continuous *ad hoc* service if any in the grade."

(1) In all cases of promotion, the continuous *ad hoc* service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the *ad hoc* appointment/promotion in the feeder category had been

made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of Recruitment and Promotion Rules :

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on *ad hoc* basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided further that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person (s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be Ex-servicemen recruited under the provisions of rule-3 of the Demobilised Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule 3 of the Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(2) Similarly, in all cases of confirmation, continuous *ad hoc* service rendered in the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service, if the *ad hoc* appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with provision of Recruitment and Promotion Rules:

Provided that *inter se* seniority as a result of confirmation after taking into account, *ad hoc* service rendered as referred to above shall remain unchanged."

By order,

Sd/-
Additional Chief Secretary.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित